Annexure - IX

	भारत सरकार (पंजीकरण प्राधिकरण) ADG Delhi एसई (वर्क्स कम टीएलक्यूए), सीपीडब्ल्यूडी, 5वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन भवन, नई दिल्ली-110002। ई-मेल: deladgdr. cpwd@nic. in	Government of India (Enlistment authority), ADG Delhi Address: SE (Works cum TLQA), CPWD Room No. A-216, A-Wing, Nirman Bhawan, New Delhi-110011. e-mail: deladgdr.cpwd@nic.in Office Phone:011-23061355	

संख्या: 2009042021 **दिनांक: गुरुवार, 27 अगस्त 2026**

No: 2009042021 **Dated: Thursday, 27 August 2026**

सूचीबद्धता आदेश

Enlistment Order

Office Order No. ADG-DEL/ENLIST/2026/B&R/V/000087 (Class- V, Category - Buildings & Roads)

निम्नलिखित आवेदक उसके आवेदन के संदर्भ में ..... (पंजीकरण प्राधिकारी) ..... द्वारा ठेकेदारी के लिए सूचीबद्ध किया जाता है ।

With reference to his/her application ADG Delhi (Enlistment Authority) is pleased to enlist the following applicant as contractor.

Details of enlisted contractor

1	Name of contractor :	Krishna Construction 27082026
2	Status of entity :	Individual
3	Address :	23 4 Nand Vihar Dwarka

		SOUTH WEST DELHI DELHI INDIA 110078
4	Category :	Buildings & Roads
5	Class :	V
6	Tendering limit :	0.4 Crore
7	Enlistment valid upto :	31/08/2028
8	Email :	Krishna@gmail.com
9	Mobile :	9988776655
10	Landline number :	
11	PAN No :	ASDPK8899K
12	GST Registration number :	22ABCDE1234Z1Z1

Name	Krishna Construction 27082026
Photo	
Signature	
Aadhaar	XXXX XXXX 4353
Share	100%

Terms and Conditions of Enlistment

(1) एनआईटी **की** शर्तों और प्रतिबंधों **एवं अन्य पात्रता मानदंडों के अधीन**, सूचीबद्ध फर्म/ठेकेदार **निवम 3.5** के अनुसार वा समय समय पर **संशोधित** सीपीडब्ल्यूडी **कार्यों के लिये** अपनी निविदा सीमा के भीतर निविदा दे सकते हैं।

Subjected to other eligibility criteria as per NIT conditions and restrictions, the enlisted firm/contractors can tender within their tendering limit for CPWD works as per Rule 3.5 or as amended from time to time.

(2)सूचीबद्ध ठेकेदार को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सूचीबद्धता नियम 2026 में ठेकेदारों की सूचीबद्धता के नियमों एवं उसके बाँद समय-समय पर संशोधित नियमों अथवा नवीनतम सूचीबद्धता नियमों का पालन करना होगा।

The enlisted contractor shall abide by all the rules mentioned in Enlistment Rules-2026 as amended from time to time or latest Enlistment Rules.

(3)सूचीबद्ध ठेकेदार को एनआईटी/अनुबंध / समझौते की शर्तों और नियमों का पालन करना होगा। सूचीबद्ध ठेकेदारों को एनआईटी शर्तों के अनुसार अन्य पात्रता मानदंडों का भी पालन करना होगा।

Enlisted contractor shall abide by the terms and conditions of the NIT/Contract/Agreement. Enlisted contractor has also to comply with the other eligibility criteria as per NIT conditions.

(4) इस सूचीबद्ध ठेकेदार का पूर्व में श्रेणी ..... वर्ग ..... में किया गया पंजीकरण इस आदेश के जारी होने की तिथि से रद्द माना जाये। (लागू नहीं है तो काट दें) .

The earlier enlistment order number ..... of the contractor issued by ..... for class V category Buildings & Roads shall stand cancelled w.e.f. the date of issue of this order. (Strike out if not applicable).

(5)ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि वह म.छप्डप्ज (सूचना प्रौद्योगिकी के साथ राष्ट्रव्यापी बुद्धिमत्ता संसाधन प्रबंधन) के तहत विभिन्न म्त्व वेब आधारित ऑनलाइन म्त्व क्रियाओं से अछी तरह परिचित / प्रशिक्षित हों / इस उद्देश्य के लिए ठेकेदार निदेशक-ईआरपी (परिचालन एवं प्रशिक्षण) से टेलीफोन नंबर रु 011-230607/23063239 ई-मेल: deldierp-ot@cpwd.gov. पर संपर्क कर सकते हैं।

Contractor is advised to get himself well acquainted/ trained on various CPWD web based online ERP processes under e-NIRMIT (Nationwide Intelligent Resource Management with Information Technology). The contractors may contact Director-

ERP (Ops &Trg.) Telephone Number # 011- 23060743/ 011-23063239; e-mail: deldirerp-ot@cpwd.gov.in for this purpose.

(6)सीपीडब्लयूडी वेबसाइट पर उपलब्ध सूचीबद्ध ठेकेदार के आदेश, सीपीडब्यूडी वेबसाइट से ही प्रमाणित किए जा सकते हैं। वेबसाइट का पथ इस प्रकार है www.cpwd.gov.in > Contractors > List of Contractors > List of CPWD Enlisted Contractors. विभाग के द्वारा कागजी प्रति में भौतिक सत्यापन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

The enlistment orders available on CPWD website may be authenticated from CPWD website itself. The path in the website to check enlistment orders is as follows www.cpwd.gov.in > Contractors > List of Contractors > List of CPWD Enlisted Contractors. No request for physical verification in hard copy will be entertained by the enlisting authority of the department

(7)नए सूचीबद्ध ठेकेदार या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को सूचीबद्धता आदेश जारी होने की तारीख से नब्बे (9०) दिनों के भीतर अनिवार्य ईआरपी प्रशिक्षण लेना होगा। जिसके बाद, उन्हें प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अपलोड किए बिना निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सूचीबद्ध ठेकेदार प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए किसी भी सीपीडब्ल्यूडी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान या एनसीए गाजियाबाद या निदेशक (ओ एंड टी), ईआरपी यूनिट सीपीडब्ल्यूडी मुख्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

The newly enlisted contractor or authorized representative shall take compulsory ERP training within ninety (90) days of the date of issue of enlistment order, after which they will not be allowed to participate in tendering process without uploading the training certificate.

The enlisted contractors may contact any of the CPWD Regional Training Institutes or NCA Ghaziabad or the Director (O&T), ERP Unit CPWD Headquarter for training purpose.

(8) सूचीबद्धता आदेश जारी होने की तिथि से या सूचीबद्धता आदेश में उल्लिखित तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी। सूचीबद्धता नियमों में उल्लिखित मौजूदा प्रावधानों के अनुसार सूचीबद्धता प्राधिकारी द्वारा सूचीबद्धता की समीक्षा की जा सकेगी और यदि सूचीबद्धता प्राधिकारी आवश्यक समझे तो किसी भी समय उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा निम्न श्रेणी में पदावनत किया जा सकेगा या कोई अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।

The enlistment will be valid for a period of five years from the date of issue of order or as mentioned in the enlistment order. The enlistment shall be open to review by the enlisting authority and liable to debarment, demotion to lower class or any other disciplinary action at any time, if considered necessary by the enlisting

authority, as per extant provisions mentioned in the Enlistment Rules.
टिप्पणी
(i) उपरोक्त प्रावधानों के हिन्दी एवं अंग्रेजी रुपांतरण में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रावधान मान्य होंगे।.
(ii)आवेदक को पत्राचार व सूचीबध्दता आदेश को सी.ई.एम.एस. पोर्टल से डाउनलोड करना होगा। पत्राचार व सूचीबध्दता आदेश स्पीडपोस्ट द्वारा नहीं भेजा जाएगा।.
Note
(i) In case of any discrepancy in Hindi and English version, English version shall prevail.
(ii) Applicant shall download the communication letters and enlistment orders from the CEMS portal. Enlistment order and communication letter shall not be sent by speed post.
SE (Works cum TLQA)
To
Krishna Construction 27082026
23, 4, Nand Vihar, Dwarka, SOUTH WEST DELHI, DELHI, INDIA
Copy to:
All officers of CPWD & PWD / CCU for information.